



४०

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com

Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- ०१ / यो०ब०-४८ / २०१५ (खण्ड-४)- ६९३

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा।

दिनांक : +९८०५.०५.२०१६

विषय :-

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल ३६.४४९ लाख (छत्तीस लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ०७/यो०बजट-२६/२०१३-६४/स्वी० व० प० दिनांक-१८.१२.२०१३ एवं आ०आ०संख्या-०७/यो०बजट-२६/२०१३-२१ अ०व०प० दिनांक-२३.०४.२०१६।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल ३६.४४९ लाख (छत्तीस लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रुपये मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन किया जा रहा है।

२. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना , उप शीर्ष ५८—अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण	मजदूरी	19P240601789580103	31.114
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789580323	5.335
कुल आवंटित राशि				36.449

अर्थात् कुल 36.449 लाख (छत्तीस लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रुपय मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित कुल 36.449 लाख (छत्तीस लाख चौवालीस हजार नौ सौ) रुपय मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना)“ (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01–वानिकी लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।


4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट–1 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. वन प्रमंडलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है। जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को प्राप्त है। तदनुसार वर्ष 2016–17 के लिये राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का व्यवास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, रँची होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी यथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा वन



एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या—2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या—819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निर्देशों के साथ अधीनस्थों तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को समर्पित करेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. उप—आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी—पत्र— परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम—300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या—2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं—2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।


- 77
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय “स्थल विशेष प्राक्कलन” योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।
17. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।
18. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।
19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
20. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी पर के अनुरूप किया जायेगा।
21. आवंटित राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
22. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
23. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शार्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
24. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरूप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
25. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

76

26. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

27. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 पर, कार्य दर अनु०-२ पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-३ पर संलग्न है।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

10/10/2016
अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची।


26. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।
27. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 पर, कार्य दर अनु०-२ पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-३ पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त।

४०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१/यो०ब०—४८/२०१५ (खण्ड-४)- ६९३ ,राँची, दिनांक :—१५.०५.२०१६

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो /वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, गिरिडीह /एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

 झारखण्ड, राँची।
15.05.2016

74

26. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

27. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 पर, कार्य दर अनु०-२ पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-३ पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :— यथोक्त /

₹०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१/यो०ब०-४८/२०१५ (खण्ड-४)- ६९३ ,राँची, दिनांक :—१२.०५.२०१६



प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो /वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, गिरिडीह /एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :—०१/यो०ब०-४८/२०१५ (खण्ड-४)- ६९३ ,राँची, दिनांक :—१२.०५.२०१६

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमंडल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेड में)	वित्तीय वर्ष 2016-17			राशि (ल० लाख में)
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	
i	ii	vii	viii	ix	x	
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	250.00	16.621	2.850	19.471	
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	50.00	3.324	0.570	3.894	
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	20.00	1.330	0.228	1.558	
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	118.00	7.845	1.345	9.190	
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल	30.00	1.994	0.342	2.336	
योग :-		468.00	31.114	5.335	36.449	

*Chittaranjan
10/9/2016*
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
Bjm झारखण्ड, राँची।

२१

दर तालिका (प्रति हेठो)

योजना का नाम : 1666 पौधा का वनरोपण (गैर वनभूमि)

पौधों की संख्या प्रति हेठो

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु०) :- **221.61**

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

क्र०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
1	2	3	4	5	6
क. सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	20.00	0.00	4432.20	4432.20
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0.00	1140.00	0.00	1140.00
3	सुरक्षा पर व्यय	10.00	0.00	2216.10	2216.10
	योग :-	30.00	1140.00	6648.30	7788.30

Chinnamom
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

Shivaji झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-48/15-4/693

दिनांक -

18-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789580103	26715	KDMFORA02	1,662,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी		RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	रुपये सोलह लाख बासठ हजार एक सौ
2	P 19 240601789580103	26716	LTRFOR004	332,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी		RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	रुपये तीन लाख बत्तीस हजार चार सौ
3	P 19 240601789580103	26717	DGRFORE87	133,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी		MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	रुपये एक लाख तैतीस हजार
				2,127,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये इक्कोस लाख सत्ताइस हजार पॉच सौ

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

172, 18, 20, 1 RANCHI

Page 1 of 3

Run Date: 18/5/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी परं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789580103	26718	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	784,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
5	P 19 240601789580103	26719	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDH WEST FOR. DIV.	199,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी			
6	P 19 240601789580323	26720	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	285,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
7	P 19 240601789580323	26721	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	57,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
				1,325,900.00
योग:				3,453,400.00
क्रमिक योग:				

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

102 16.20.1

RANCHI

Run Date: 18/5/2016

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789580323	26722	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	22,800.00 रुपये बाइस हजार आठ से से
9	P 19 240601789580323	26723	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	134,500.00 रुपये एक लाख चौतीस हजार पौँच से
10	P 19 240601789580323	26724	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	34,200.00 रुपये चौतीस हजार दो से

योग:

रुपये छत्तीस लाख चवालीस हजार नौ सौ

क्रमिक योग:

191,500.00

3,644,900.00



(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

